

मालय
 उनवान
 मुकदमा नं.

रामजीलाल

बनाम

श्री करलाल

दि. नं. 17/2015

26/3/15

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपत्र उपस्थित।
 अध्यायी शंकरलाल की ओर से दिनांक 16/8/19
 के प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया।
 अधिवक्ता अध्यायी ने आवेदन पेश कर निवेदन
 किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार
 की जाकर ग्राहक पंचायत बिहार द्वारा जारी
 पट्टा दि. 3/8/89 बहाल रखे जाने व पंचायत
 समिति नीमहावावा के प्रशासन स्थानी समिति
 का निर्माण दि. 10/5/2006 निरस्त किये जाने
 में अध्यायी को कोई आपत्ति नहीं है अतः
 निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की
 रूपा करे। अधिवक्ता अध्यायी एवं अध्यायी
 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधिवक्ता अध्यायी
 ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः
 अधिवक्ता अध्यायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन भाषाविक
 के स्वीकार किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी
 स्वीकार की जाती है तथा आणालय प्रशासन
 स्थानी समिति व स. नीमहावावा द्वारा पारित
 निर्णय दिनांक 10/5/2006 के इसी स्तर
 पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फंसल
 शुमार होकर वाउ स्थिति डाकिल दफतर
 है।

अति. जिला कलक्टर, सीकर
 सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official